<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 596 / 13</u> <u>संस्थापन दिनांकः —16 / 12 / 13</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000612013</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि क्त द्ध

गुड्डू पिता कामूलाल उइके, उम्र 19 वर्ष, निवासी पोही आमागोदी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 06.02.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.12.2013 को सुबह 09:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम पोही आमागोदी में समलीबाई के कुंए के पास लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी कामूलाल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी कामूलाल एवं शकुनबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मिल्लोबाई को न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2016 को फौत घोषित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त गुड्डू के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2013 को सुबह करीब 9 बजे गांव की समलीबाई के कुएं के पास फरियादी को अपना लड़का अभियुक्त मिला और कहा कि तू यहां क्यों आया है और 20/— रूपये मांगे। फरियादी द्वारा पैसे न देने पर अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और उसे उठाकर पटक दिया तथा पत्थर से उसकी छाती, गले, पैर में मारपीट की। जब शकुनबाई बीच बचाव करने आयी तो अभियुक्त मिल्लोबाई ने भी हाथ थप्पड़ से मारपीट की। मिल्लोबाई ने उसकी पत्नी को गली गलीच की। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 470/13

पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- क्या घटना के समय अभियुक्त ने फिरयादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी कामूलाल एवं आहत शकुनबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या अभियुक्त द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

6 अभियुक्त द्वारा घटना के समय अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग—2 भा0दं0सं0 के आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

- 7 कामूलाल (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त का उससे विवाद हुआ था और धक्का लग गया था जिससे वह गिर गया था। बीच बचाव करने के लिए जब उसकी पत्नी सकुनबाई आयी तो वह भी धक्का लगने से गिर गयी थी।
- 8 डॉ. दिनेश सोनी (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह सीएचसी आमला में कम्पाउडर के पद पर पदस्थ है। उसने डॉ० रोहित के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से भी भली भांति परिचित है। दिनांक 11.12.13 को डॉ रोहित के द्वारा आहत कामूलाल का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत को कोई चोट के निशान नहीं पाये थे परंतु आहत द्वारा गर्दन और सीने पर दर्द की शिकायत की गई थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उक्त दिनांक को डॉ. रोहित के द्वारा आहत शकुनबाई का भी मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें आहत को गर्दन पर बायी तरफ खरोंच का निशान पाया था। साक्षी ने डॉ. एन.के.रोहित द्वारा आहत कामूलाल एवं शकुनबाई के संबंध में दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—7 पर डॉ. एन.के. रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9 मंगलमूर्ति (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 12. 12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 477/13 की केस डायरी प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—3) तथा दिनांक 14.12.2013 को अभियुक्त गुड्डू एवं मिल्लोबाई को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।
- 10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वयं फरियादी एवं आहत ने घटना का समर्थन नहीं किया है जिससे संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कामूलाल (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घरेलू बात पर से उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था। एकदम से अभियुक्त का धक्का लगने से वह गिर गया था जिससे उसके सीने में दर्द होने लगा था। इसके अलावा उसका अभियुक्त से कोई विवाद नहीं हुआ था। तभी बीच बचाव के लिए उसकी पत्नी शकुनबाई आ गयी थी और उसे भी धक्का लग गया था जिससे गुस्से में आकर उसने थाने में रिपोर्ट कर दी थी।

- 12 शकुनबाई (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।
- 13 कामूलाल (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से विवाद हुआ था और उसका धक्का लगने से वह गिर गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे गिरने से ही चोटें आयी थी। अभियुक्त गुड्डू ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। प्रकरण में साक्षी कामूलाल एवं साक्षी शकुनबाई जो कि आहतगण हैं, इन्होंने ही घटना का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्त गुड्डू के द्वारा मारपीट किये जाने से इनकार किया है। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त गुड्डू ने फरियादी कामूलाल एवं आहत शकुनबाई की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

- 14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी कामूलाल को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी कामूलाल एवं शकुनबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग—दों के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)